



उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद,

राज्य परियोजना कार्यालय,

तपोवन मार्ग, ननूरखेड़ा, रायपुर, देहरादून।

Website: <http://ssa.uk.gov.in>/Email - spd-ssa-uk@nic.in

Fax No: (0135) 2781942 Toll Free No. 1800-180 4132

विज्ञप्ति सं०- रा०प०का० / १५१ / Q&I / Library / 2026-27 दिनांक 25 अगस्त, 2026

विज्ञप्ति- पुस्तकालय

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के कक्षा 01 से 12वीं तक के राजकीय विद्यालयों में पुस्तकालय से सम्बन्धित पुस्तकों के चयन हेतु इच्छुक प्रकाशकों/पुस्तक वितरकों से पुस्तकों के नमूने (उनके निजी व्यय पर) दिनांक 12-09-2026 को सायं 05:00 बजे तक राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून तपोवन मार्ग, ननूरखेड़ा, रायपुर, पिन-248008 परिसर में आमन्त्रित किये जाते हैं। पुस्तकें वाहक / डाक से निजी व्यय पर उपलब्ध करायी जा सकती हैं। इस सन्दर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड की वेबसाइट <https://ssa.uk.gov.in> पर प्राप्त की जा सकती हैं।

भवदीय,

(कुँवर सिंह रावत)

अपर राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ०सं०- रा०प०का० / १५१ / Q&I / Library / 2026-27 उक्तवत्।

प्रतिलिपि- सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला तथा हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति दिनांक 28.08.2026 के उत्तराखण्ड संस्करण में 6x8 सेमी० के आकार में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु नियमानुसार इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(कुँवर सिंह रावत)

अपर राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।

विज्ञापन सं० – रा०प०का० / १६६ / Q&I / Library / 2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026
पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के चयन एवं आपूर्ति सम्बन्धी दिशा-निर्देश

भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 में पुस्तकालय मद के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर (कक्षा-01 से 05), उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा-06 से 08), माध्यमिक स्तर (कक्षा-09 से 10) एवं उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा-11 से 12) में पुस्तकालय विकास हेतु पुस्तकों के चयन एवं आपूर्ति हेतु NCERT, NBT, CIIL, IB, साहित्य अकादमी (State / SCERT Publication) तथा निजी प्रकाशकों से पुस्तकों के नमूने कैटलॉग सहित निम्नलिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के साथ आमन्त्रित किये जाते हैं –

1. उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्राथमिक स्तर (कक्षा-01 से 05), उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा-06 से 08), माध्यमिक (कक्षा-09 से 10) एवं उच्च माध्यमिक (कक्षा-11 से 12) विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए छात्रोपयोगी एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें क्रय की जानी हैं। (पाठ्य-पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों, परीक्षा संबंधी पुस्तकों को छोड़कर)
2. पुस्तकें उत्तराखण्ड के स्थानीय साहित्य, कला, लोककथा, त्यौहार, परम्पराएं, भौगोलिक परिदृश्य, लोकगीत आदि से सम्बन्धित होनी चाहिए एवं स्थानीय / क्षेत्रीय/ मातृ/ जनजातीय भाषा से सम्बन्धित पुस्तकों को शीर्ष प्राथमिकता दी जायेगी।
3. पुस्तकों के नमूने निःशुल्क Catalogue के साथ में ही मान्य होगी। प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी पुस्तकों के नमूने अनिवार्य रूप से Catalogue में भी अंकित होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में ऐसी पुस्तकों को चयन से बाहर कर दिया जायेगा।
4. पुस्तक वितरकों को प्रकाशक / फर्म केवल उसी स्थिति में पुस्तक के नमूने देंगे जब उन्हें अधिकृत किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र दिया गया हो तथा यह प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को स्वघोषक के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
5. उपलब्ध करायी गयी पुस्तकें अनिवार्यतः संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, सद्भाव, नैतिक मूल्यों, महापुरुषों की कहानियों, भारतीय संस्कृति, विरासत, खेल, कला, संगीत, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, उपन्यास, स्टोरी बुक्स, बच्चों की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं और कॉमिक्स, विभिन्न महान हस्तियों की ऑटोबायोग्राफी, पंचतंत्र, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, कला, खेल के नियमों से सम्बन्धित, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, वैश्विक परिदृश्य एवं एटलस, नागरिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था आधारित, संगीत एवं कला की होनी चाहिए।
6. दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, पुस्तकालय संग्रह में एन0सी0ई0आर0टी0 की स्पर्शनीय मानचित्र पुस्तकें और बरखा श्रृंखला के साथ-साथ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एन0आई0ओ0एस0) और एन0सी0ई0आर0टी0 की ऑडियो पुस्तकें भी शामिल की जायेगी।
7. छात्रों के लिए प्रस्तुत पुस्तकों में ऐसा कोई भी शब्द या वाक्य नहीं होना चाहिए जो किसी जाति, धर्म या सम्प्रदाय विशेष की भावनाओं को आहत करे एवं बच्चों के मनःस्थिति तथा चरित्र पर विपरीत प्रभाव डाले।



8. पुस्तकों की विषयवस्तु विवादास्पद न हो, पुस्तक सरल एवं आसान भाषा में लिखी गयी हो किन्तु पाठ्य वस्तु गुणवत्तापूर्ण हो, आकर्षक एवं साफ-सुथरे रूप में मुद्रित हो एवं रुचिपूर्ण और शिक्षाप्रद होना चाहिए।
9. पुस्तकें अनिवार्यतः 06 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी हो। पाठ्य पुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक, परीक्षा से सम्बन्धित पुस्तकों एवं 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनुपयोगी पुस्तकों का चयन नहीं किया जायेगा।
10. सूची पत्र में प्रत्येक प्रस्तावित पुस्तक/पत्रिका का आई०एस०बी०एन० का उल्लेख होना आवश्यक है।
11. लेखक द्वारा सीधे उपलब्ध करायी गयी पुस्तकें चयन में सम्मिलित नहीं करायी जायेगी।
12. प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पुस्तकों के नमूनों की आपूर्ति के लिए सम्बन्धित प्रकाशक को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
13. पुस्तक नमूने उपलब्ध कराने में विलम्ब होने पर या उपलब्ध कराये जाने से पूर्व क्षतिग्रस्त होने पर या गुम हो जाने की स्थिति में सम्बन्धित प्रकाशक / पुस्तक वितरक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. प्रकाशक / पुस्तक वितरक द्वारा यदि गलत तथ्यों के साथ पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं तो उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही अमल में लायी जाती है तो इसके लिए सम्बन्धित प्रकाशक / पुस्तक वितरक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
15. पुस्तकों का चयन राज्य स्तर पर उक्त कार्य हेतु चयनित समिति के माध्यम से किया जायेगा। पुस्तकों के चयन का निर्णय पूर्णतः गठित समिति के पास सुरक्षित रहेगा तथा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की पृच्छा/ पत्र व्यवहार का उत्तर नहीं दिया जायेगा।
16. किसी भी प्रकाशक / पुस्तक वितरक द्वारा पुस्तकों के चयन सम्बन्धी कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। किसी भी प्रकाशक / पुस्तक वितरक द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो सम्बन्धित की पुस्तकों को चयन से बाहर कर दिया जायेगा एवं भविष्य के लिए सम्बन्धित प्रकाशक एवं वितरक को प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।
17. पुस्तक नमूने उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रत्येक फर्म को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए उन्हें राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पंजीकरण नम्बर भी आवंटित किया जायेगा।
18. पंजीकरण हेतु प्रकाशकों / वितरकों के द्वारा पृथक से पंजीकरण नहीं किया जाना है। अपितु नमूना प्रति उपलब्ध कराये जाने की तिथि या नमूना प्रति प्राप्त होने की तिथि को पंजीकरण सम्बन्धित स्थल पर किया जायेगा।
19. प्रकाशक / पुस्तक वितरकों से रु० 500.00 (पांच सौ रुपये मात्र) पंजीकरण शुल्क (Non Refundable) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में लिया जायेगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट राज्य परियोजना निदेशक एसएसए उत्तराखण्ड देहरादून (State Project Director, SSA Uttarakhand, Dehradun) के पक्ष में तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।
20. पुस्तक नमूनों के साथ Catalogue हस्ताक्षर सहित एवं प्रत्येक सेट के ऊपर प्रकाशक का नाम, पता, फोन नं०/मोबाइल नं० एवं जमा की गयी कुल पुस्तकों की संख्या बोल्ड अक्षर में लिखा होना चाहिए।
21. प्रकाशक / पुस्तक वितरकों के द्वारा नमूना प्रति के साथ आवश्यक अभिलेख (प्रकाशक / पुस्तक वितरक होने की पुष्टि के लिए समक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, कटलॉग, पंजीकरण संख्या आदि) भी उपलब्ध कराये जायेंगे।



22. प्रकाशक / पुस्तक वितरकों के द्वारा एक कक्षा स्तर में 04 पुस्तकों से अधिक सख्या में पुस्तक नमूने कदापि प्राप्त नहीं किये जायेंगे। 04 पुस्तकों से अधिक पुस्तकों को पंजीकरण में शामिल नहीं किया जायेगा, साथ ही पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।
23. किसी भी प्रकाशक द्वारा यदि राजकीय प्रकाशक होने का दावा किया जाता है तो इस हेतु सक्षम स्तर से प्रदत्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अन्यथा उसे निजी प्रकाशक की श्रेणी में रखा जायेगा।
24. निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का चयन उत्तराखण्ड राज्य के लिए उपयोगी एवं स्थानीय भाषा के परिप्रेक्ष्य में ही किया जायेगा, साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 से पूर्व वर्षों में समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा चयनित पुस्तकों को किसी भी दशा में चयन नहीं किया जायेगा।
25. प्रकाशक / पुस्तक वितरकों के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुस्तक नमूनों को किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार या अनुरोध स्वीकार किया जायेगा। उपलब्ध कराये गये पुस्तक नमूनों को राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड की सम्पत्ति समझा जायेगा।
26. पुस्तक नमूने विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक **12-09-2026** अपराह्न 5:00 बजे तक अनिवार्यतः राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून तपोवन मार्ग, ननूरखेड़ा, रायपुर के सभागार में उपलब्ध हो जानी चाहिए, उसके बाद प्राप्त पुस्तकों पर विचार नहीं किया जायेगा।
27. पुस्तक नमूने प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के मध्य किसी भी कार्यदिवस में राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून तपोवन मार्ग, ननूरखेड़ा, रायपुर के सभागार में उपलब्ध करायी जा सकती है। निर्धारित तिथि तक डाक द्वारा प्राप्त पुस्तकें भी स्वीकार्य होंगी।
28. पुस्तकों की अन्तिम चयनित सूची राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड की आधिकारिक वेबसाइट <https://ssa-uk-gov-in> पर प्रदर्शित की जायेगी। इस हेतु किसी भी प्रकाशक / पुस्तक वितरकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जायेगा।
29. पुस्तक नमूने उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु मो० नं०- 7351322905 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय,


(कुँवर सिंह सैवत)

अपर राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।